कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135–2608763, फैक्स 0135–2608746

पत्र संख्याः–1प / रा0पु0 / 6 / 2024 टी0सी0–1 / 8972 देहरादूनः दिनांक– 11 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
   गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल,
   नैनीताल
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
   उत्तराखण्ड।
3. **समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक**
   उत्तराखण्ड।
4. **प्रधानाचार्य,**
   सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
   प्रशिक्षण केन्द्र, मोतीनगर हल्द्वानी,
   नैनीताल / चन्द्रनगर, देहरादून।

विषयः– **चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 हेतु स्थानान्तरण किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या– 1प / रा0पु0 / 6 / 2024टी0सी0–1 / 1383, दिनांक 18.01.2025, पत्र संख्या– 1प / रा0पु0 / 6 / 2024टी0सी0–1 / 4578, दिनांक 20.02.2025 एवं पत्र संख्या– 1प / रा0पु0 / 6 / 2024टी0सी0–1 / 6917, दिनांक 02.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत आगामी स्थानान्तरण सत्र 2025–26 हेतु आपको आप अपने–अपने अधिष्ठान के समस्त परिधिगत विभागीय कार्यालयों / चिकित्सा ईकाईयों में कार्यरत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के समस्त / प्रत्येक चिकित्सा अधिकारियों की सूचना साफ्ट एवं हार्ड कापी इस महानिदेशालय को स्पीड पोस्ट एवं ई–मेल (karmik1dgmhuk@gmail.com) के माध्यम से दिनांक 05.04.2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु आतिथि तक आपके स्तर से कोई सूचना प्राप्त नही हुयी है।

इस क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या– 282747 / XXX(2) / 2025–E–20917, दिनांक 17.03.2025 द्वारा राज्याधीन कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण किये जाने के लिए निर्धारित समय–सारणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है, परन्तु आपके स्तर से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों के स्थानान्तरण / सेवा का विवरण से सम्बन्धित में सूचना प्राप्त नही होने के कारण निर्धारत समय–सारणी के अनुसार कार्यवाही करने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है।

अतः आपसे पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने–अपने अधिष्ठान के समस्त परिधिगत विभागीय कार्यालयों/चिकित्सा ईकाईयों में कार्यरत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के समस्त/प्रत्येक चिकित्सा अधिकारियों की सूचना संकलित करते हुये प्रत्येक दशा में दिनांक १५.04.2025 तक साफ्ट एवं हार्ड कापी में महानिदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। सूचना निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने की दशा में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आपके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका आप स्वयं जिम्मेदार होगें/होगी।

भवदीय,

(एच0सी0एस0 मर्तोलिया)
प्रभारी निदेशक (चिकि0स्वा0)

संख्याः–1प/रा0पु0/6/2024 टी0सी0–1/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि महानिदेशालय के उक्त दिनांक 18.01.2025, दिनांक 20.02.2025 एवं दिनांक 02.03.2025 द्वारा चाही गयी सूचना प्रत्येक दशा मे दिनांक 10.04.2025 तक कामिक अनुभाग–1 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
2. डा0 कुलदीप मर्तोलिया, नोडल अधिकारी (आई0टी0 सैल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु उक्त पत्र को बेव साइड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित।

(एच0सी0एस0 मर्तोलिया)
प्रभारी निदेशक (चिकि0स्वा0)